बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 6528-582 पटना, दिनांक 13/11/2026
ग्रा0वि0-6-बजट/05-03/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत **NRLM/Aajeevika** योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद में द्वितीय किस्त के रूप में राशि रू0 84429.37 लाख (आठ अरब चवालीस करोड़ उनतीस लाख सैतीस हजार) एवं इस राशि के विरूद्ध 60:40 के अनुपात में देय आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 56286.24 लाख (पाँच अरब बासठ करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार) अर्थात कुल राशि रू0 140715.61 लाख (चौदह अरब सात करोड़ पन्द्रह लाख इकसठ हजार) का **Mother Sanction** एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से चलाई जा रही है ।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-J-12014/01/2026-RL (SNA_47) दिनांक-06.11.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत SNA-SPARSH के तहत द्वितीय किस्त Mother Sanction के रूप में निम्नवत् राशि की विमुक्ति की गयी है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	मद	राशि
1	सामान्य	68767.72
2	अनुसूचित जाति	14302.34
2	अनुसूचित जनजाति	1359.31
	कुल-	**84429.37** (आठ अरब चवालीस करोड़ उनतीस लाख सैतीस हजार)

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत भारत सरकार से SNA-SPARSH के तहत Mother Sanction के रूप में प्राप्त राशि के विरूद्ध अनुपातिक (60:40) देय राज्यांश की राशि निम्नवत् है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	आनुपातिक देय राज्यांश
1	सामान्य	68767.72	45845.14
2	अनुसूचित जाति	14302.34	9534.89
3	अनुसूचित जनजाति	1359.31	906.21
	कुल-	84429.37	**56286.24**

5. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के पत्रांक-BRLPS/Acctts/466/17/Vol-II/6680 दिनांक-10.11.2026 द्वारा मांग पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत निम्नवत् राशि Mother Sanction एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	सामान्य	68767.72	45845.14	114612.86
2	अनुसूचित जाति	14302.34	9534.89	23837.23
3	अनुसूचित जनजाति	1359.31	906.21	2265.52
	कुल-	**84429.37**	**56286.24**	**140715.61**

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत प्राप्त Mother Sanction के आलोक में उपबंधित बजट के विरूद्ध राशि विपत्र कोडवार एवं उप शीर्षवार केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	बजट शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (60%)	राज्यांश मद की राशि (40%)	कुल विमुक्ति एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद) विषय शीर्ष-3106	68767.72	45845.14	114612.86
2	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जाति मद) विषय शीर्ष-3106	14302.34	9534.89	23837.23
3	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067960202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जनजाति मद) विषय शीर्ष-3106	1359.31	906.21	2265.52
	कुल-	**84429.37**	**56286.24**	**140715.61**

7. Mother Sanction के आलोक में स्वीकृत राशि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी उपलब्ध कराये जाने की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल स्वीकृत राशि रू0 140715.61 लाख (चौदह अरब सात करोड़ पन्द्रह लाख इकसठ हजार) की राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी अलग से उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. स्वीकृत राशि का व्यय वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा ।

9. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि को CFMS के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना के स्तर से कंडिका-7 के आलोक में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर Mother Sanction उपलब्ध करायी जायेगी ।

10. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा । SNA-SPARSH Module से राशि के निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा ।

11. वित्त मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-F.N.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023, 07.08.2023, 20.11.2023, 16.01.2024, 20.06.2024 तथा समय-समय पर निर्गत निदेश के आलोक में राशि का व्यय/हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं0-ग्रा0वि0/06-बजट/05-03/2026 के पृष्ठ-42---/टि0 पर दिनांक-12-11-26 को प्राप्त है ।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन
12
13/11/26
(हिमांशु शर्मा)
आयुक्त स्वरोजगार

ज्ञापांक 6526582 पटना, दिनांक 13/11/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त स्वरोजगार

ज्ञापांक 6526582 पटना, दिनांक 13/11/2026

प्रतिलिपि- डॉ0 मौलिश्री, निदेशक (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई0टी0मैनेजर को (विभागीय

वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/11/26

आयुक्त स्वरोजगार

ज्ञापांक 6526582 पटना, दिनांक 13/11/2026

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/11/26

आयुक्त स्वरोजगार